न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 76/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. बाबु भाई पिता अमरा जी पटेल, निवासी अम्बासा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राम जी भाई पिता फत्ता जी पटेल, निवासी दन्तोड, तहसील विजय नगर, जिला साबरकांठा (गुजरात)
2. पंजाब ने ानल बैंक, पानरवा जरिये भााखा प्रबन्धक
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झाडोल
दिनांक 24.06.2016 प्र.सं. 15/2014

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मनीश भार्मा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री लोके ा जैन अभिभाशक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय दिनांक 18–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अम्बासा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे का त की आराजी नंबर 892, 893, 1306 व 1310 कुल किता 4 रकबा 2.95 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से भूमि विकास कार्यो में बाधा आती है। अतः विवादित आराजी का उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 24–06–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–08–2016 प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री लोके ा जैन उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:35 IST
Reason: SelfAttested

हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में हमारे काउण्टर क्लेम को देखा ही नही एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वे प्रकरण में तनकियात कायम करते तत्प चात उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करते। अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र निरस्त कराने व घोशणा का अनुतोश अपने काउण्टर वाद में चाहा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 892, 893, 1306 व 1310 कुल किता 4 रकबा 2.95 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:35 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

बाबूभाई पिता अमरा पटेल, निवासी अम्बासा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर

बनाम

राम जी भाई पिता फत्ता पटेल, नि0 दन्तोड़, तह0 विजय नगर, जिला साबरकांठा (गुजरात) व अन्य

अपील नं.....**76 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **झाडोल** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**24**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीश भार्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री लोके I जैन** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:35 IST
Reason: SelfAttested